न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 72/2023 (Bank Case)

GCMS No.-2023/130

इंडिया शेल्टर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड एक वित्तीय संस्था है जिसका पंजीकृत कार्यालय :– 6th फलोर, प्लॉट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–14, गुरूग्राम में स्थित व कार्यरत है तथा जिसकी शाखा कार्यालय अजमेर एवं वर्तमान कार्यालय मल्टीपरपज स्कूल के सामने, पंजवानी कॉम्पलेक्स, फर्स्ट फलोर, गुमानपुरा, कोटा में स्थित व कार्यरत है। – प्रार्थी

वनाम

1. श्रीमती राजेश बाई नागर पत्नी श्री हजारी लाल (ऋणी)
   पताः महान नं0 सी–37, राम जानकी मन्दिर के पास, विज्ञान नगर, कोटा
   अन्य पताः– प्लॉट नं0 630, अजय आहूजा नगर एसपी–1 योजना, तहसील लाडपुरा, कोटा (राज0)
2. श्री हजारी लाल पुत्र श्री माधो लाल (सहऋणी / बंधककर्ता)
   पताः महान नं0 सी–37, राम जानकी मन्दिर के पास, विज्ञान नगर, कोटा
   अन्य पताः– प्लॉट नं0 630, अजय आहूजा नगर एसपी–1 योजना, तहसील लाडपुरा, कोटा (राज0)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 08 .10.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इंडिया शेल्टर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड एक वित्तिय संस्था है जिसका पंजीकृत कार्यालय :– 6th फलोर, प्लॉट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–14, गुरूग्राम में स्थित व कार्यरत है तथा जिसकी शाखा कार्यालय अजमेर एवं वर्तमान कार्यालय मल्टीपरपज स्कूल के सामने, पंजवानी कॉम्पलेक्स, फर्स्ट फलोर, गुमानपुरा, कोटा में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 04.06.2016 को जरिये अनुबन्ध संख्या HL2600000022 द्वारा रूपये 11,75,000/– (अक्षरेः रूपये ग्यारह लाख पिचत्तर हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री हजारी लाल पुत्र श्री माधो लाल की आवासीय अचल सम्पत्ति भूमि व भवन जो प्लॉट नं0 630, एसपी–1 योजना, अजय आहूजा नगर, तहसील लाडपुरा, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 37.35 वर्ग मीटर है जिसकी** चतुर्थ सीमाएः पूर्व मेंः सडक, पश्चिम मेंः अन्य प्लॉट, उत्तर मेंः प्लॉट नं. 631, दक्षिण मेंः प्लाट नं. 629 है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 27.12.2021 कों एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 12,45,396.59/–रूपये (अक्षरेः– बारह लाख पेतालीस हजार तीन सौ छियानवें रूपये व उनषठ पैसे मात्र) दिनांक 10.08.2022 तक व दिनांक 11.08.2022 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से सरफेसी एक्ट के प्रावधान अनुसार वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की श्री हजारी लाल पुत्र श्री माधो लाल की आवासीय अचल सम्पत्ति भूमि व भवन जो प्लॉट नं0 630, एसपी–1 योजना, अजय आहूजा नगर, तहसील लाडपुरा, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 37.35 वर्ग मीटर है जिसकी चतुर्थ सीमाएः पूर्व मेंः सडक, पश्चिम मेंः अन्य प्लॉट, उत्तर मेंः प्लॉट नं. 631, दक्षिण मेंः प्लाट नं. 629 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 08 .10.2025 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा,

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)